अध्यक्ष के शोध कदम द्वारा वस्तु और सेवा कर पर दूसरी कार्यशाला का आयोजन

नई दिल्ली, 05 अगस्त, 2015 : महत्वपूर्ण मुद्दों पर संसद सदस्यों को जागरूक बनाने संबंधी अपने प्रयास में अध्यक्ष के शोध कदम (एसआरआई), जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 23 जुलाई, 2015 को किया था, ने संसदीय ज्ञानपीठ में वस्तु और सेवा कर (GST) संबंधी अपनी दूसरी कार्यशाला आयोजित की।

राष्ट्रीय लोक वित्त और नीति संस्थान, नई दिल्ली की प्रोफेसर सुश्री आर कविता राव कार्यशाला के दौरान मुख्य वक्ता थीं। श्री राठीन राज और एसआरआई के अन्य सदस्यों ने प्रोफेसर राव की मदद की।

अन्य लोगों के अलावा, कार्यशाला में बड़ी संख्या में संसद सदस्यों, पूर्व संसद सदस्यों और लोक सभा सचिवालय के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया।

बाद में सुश्री राव ने प्रतिभागियों के प्रश्नों के उत्तर भी दिए।

जीएसटी लागू करने को सुकर बनाने के लिए संविधान संशोधन विधेयक जीएसटी में मिला दिए जाने के लिए करों का ब्यौरा प्रदान करता है और सदस्यों के रूप में केन्द्र सरकार और राज्य सरकारों के साथ जीएसटी परिषद के सृजन का प्रस्ताव करता है। जीएसटी परिषद को प्रस्तावित कर ढांचे के संबंध में निर्णय लेने और देश में जीएसटी को लागू करने की प्रक्रिया में विभिन्न सरकारों के मध्य उठने वाले किसी मतभेद को दूर करने का कार्य सौंपा गया है। यद्यपि अभी तक जीएसटी परिषद की स्थापना नहीं की गई है, इस प्रणाली की प्रकाश में आई कुछ विशेषताओं का सार निम्नवत दिया जा सकता हैः-

- दोहरा वस्तु और सेवा कर (जीएसटी) : केन्द्रीय जीएसटी तथा एक राज्य जीएसटी शामिल हैं।
- कुछ अपवादों को छोड़कर एक विस्तृत आधार : विद्युत, भू संपदा, कच्चा पेट्रोलियम, डीजल, पेट्रोल, एटीएफ और मानव उपभोग हेतु एल्कोहल जीएसटी से बाहर रहेंगे।
- अंतर्राज्यीय आपूर्तियों पर आईजीएसटी नामक कर प्रणाली के अंतर्गत कर लगाया जाएगा जिसके अंतर्गत यह सुनिश्चित किया जाएगा कि कर उसी राज्य को प्राप्त हो जहां वस्तु का अंतिम उपभोग किया जाए।

- निर्यात पर शून्य कर लगाया जाए और आयात को मूल सीमा शुल्क के अतिरिक्त जीएसटी के अधीन रखा जाए।
- संघ सरकार ने जीएसटी लागू होने के बाद किसी भी राज्य को राजस्व की हानि होने की स्थिति में क्षतिपूर्ति प्रदान करने का वायदा किया है। यह क्षतिपूर्ति, कर लागू होने के बाद पांच वर्षों की अवधि के लिए प्रदान किए जाने का प्रस्ताव है।
- आईजीएसटी के अतिरिक्त प्रारंभिक वर्षों हेतु, वस्तुओं की अंतर्राज्यीय आपूर्ति पर 1 प्रतिशत कर लगाए जाने का प्रस्ताव है (मुआवजे के रूप में) जिसका निर्यातक राज्यों द्वारा संग्रहण करके उसे अपने पास रखा जाएगा।

यह स्मरण होगा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा उद्घाटन किए जाने के बाद एसआरआई ने 23 जुलाई, 2015 को "सतत् विकास लक्ष्य " विषय पर अपनी पहली कार्यशाला का आयोजन किया।